समाचार

नियमों के उल्लंघन पर लगा 20200 रू. का अर्थदण्ड

(निगम के विभिन्न जोनों में की गई कार्यवाही)

कोरबा 25 अगस्त 2020 – सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने तथा नियमों का उल्लंघन करने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा आज 25 अगस्त को अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए

20200 रूपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने, निर्धारित समय के पश्चात भी दुकान खोलने, साप्ताहिक अवकाश पर दुकान खोलने तथा नियमों का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 25 अगस्त को भी निगम के विभिन्न जोनों में यह कार्यवाही की गई तथा 20200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>नियमों का पालन कराने जुटा रहा निगम का अमला</u>– नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला कोविड–19 से संबंधित नियमों एवं जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने में जुटा रहा। निर्धारित समय के पश्चात दुकानें खुली न रहे, निर्धारित समय पर दुकानें बंद हों, इस पर निगम अमले ने सतत नजर रखते हुए दुकानों को समय पर बंद कराया तथा जिन दुकानदारों द्वारा समय के पश्चात भी दुकानें खोल रखी गई थी, उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

<u>होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की सतत निगरानी</u>– कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा होम क्वारन्टाईन पर रह रहे लोगों की सतत निगरानी किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के परिपालन में अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने जोन कमिश्नर व उप जोन प्रभारियों को निरंतर निगरानी किए जाने व प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत इस हेतु गठित जोन स्तरीय एवं वार्ड स्तरीय निगरानी दलों द्वारा इनकी निरंतर निगरानी की जा रही है। आज इसी कड़ी में नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 08 जोन में स्थित वार्डो में होम क्वारन्टाईन पर रह रहे लोगों के घर तक निगरानी दल के सदस्य पहुंचे, औचक रूप से निरीक्षण किया, इस दौरान होम क्वारन्टाईन पर रह रहे सभी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाये गए। निगरानी दल के सदस्यों ने उन्हें समझाईश दी कि वे अपने घर के बाहर कदापि न निकले, घर पर ही आराम से रहें। इसके साथ ही दल के सदस्यों ने होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की।

<u>ली जा रही कोविड–19 की रैंडम सैम्पलिंग</u>– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल के निर्देशों के परिपालन में निगम क्षेत्र में कोविड–19 की रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है। इसी कड़ी में 20 अगस्त को कोरबा जोनांतर्गत गीतांजलि भवन में, 21 अगस्त को जोन कार्यालय कोरबा में, 23 अगस्त को टी.पी.नगर जोन कार्यालय में, 24 अगस्त को टी.पी.नगर जोनांतर्गत वार्ड क्र. 14 सामुदायिक भवन पम्प हाउस में, 25 अगस्त को कोसाबाड़ी जोनांतर्गत वार्ड क्र. 18 नया सामुदायिक भवन पथर्रीपारा में रैंडम सैम्पलिंग की गई। कार्ययोजना अनुसार 26 अगस्त को कोसाबाड़ी जोनांतर्गत वार्ड क्र. 20 सियान सदन घंटाघर में रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। इसी प्रकार 27 अगस्त को रविशंकर नगर जोनांतर्गत वार्ड क्र. 22 स्थित जोन कार्यालय में रैंडम सैम्पलिंग होगी। 28 अगस्त को बालको जोनांतर्गत सामुदायिक भवन कांजीहाउस वार्ड क्र. 41 में तथा 29 अगस्त को बालको जोन कार्यालय में, 30 अगस्त को दर्री जोनांतर्गत सरदार पटेलनगर व 31 अगस्त को मंगल भवन दर्री में रैंडम सैम्पलिंग का कार्य किया जाएगा। 01 सितम्बर को सर्वमंगला जोनांतर्गत सामुदायिक भवन खम्हरिया में तथा 02 सितम्बर को सर्वमंगला जोन कार्यालय मे रैंडम सैम्पलिंग होगी, वहीं 03 सितम्बर को बांकीमोंगरा जोनांतर्गत बांकी स्थित जोन कार्यालय में रैंडम सैम्पलिंग का कार्य किया जाएगा।

<u>मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर सतत जनजागरूकता</u> –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा कर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन करने संबंधी जनजागरूकता का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले।